

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2022

का.आ. 1137(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित गामा पिकोलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 13 सितंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

एन. के. संतोषी, उप महानिदेशक

नोट: मुख्य आदेश को 16 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.1891 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात इसे 4 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4410 (अ) और दिनांक 19 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1679 (अ) द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 11th March, 2022

S.O. 1137(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Gamma Picoline (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 13th September, 2022.”

[F. No. C.II-13012/3/2021-Chem.II]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1891(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification number S.O. 4410(E) dated the 4th December, 2020 and S.O. 1679(E) dated the 19th April, 2021.